न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 8/2019/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 8.1.2019
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1 मोहनलाल पुत्र स्व0 भंवरलाल निवासी गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
2 बिरधीलाल पुत्र स्व0 भंवरलाल निवासी गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
3 कैलाश बाई पुत्री स्व0 भंवरलाल पत्नी रामेश्वर जाति माली निवासी कापरेन तहसील व जिला बूंदी।
4 कान्हीबाई पुत्री स्व0 भंवरलाल पत्नी हीरालाल जाति माली नि0 अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
5 छोटूलाल पुत्र घांसीलाल जाति माली निवासी गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
6 मथुरालाल पुत्र घांसीलाल जाति माली निवासी गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

...अपीलाट्स

बनाम

1 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा।

.....रेस्पो0

उपस्थित : श्री सत्यनारायण सुमन अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक 30.4.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 435/06 बउनवान सरकार बनाम भंवरलाल आदि मे पारित निर्णय दिनांक 8.5.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि तहसीलदार (भू अभि.) लाडपुरा द्वारा प्रतिपक्षी (अपी0) का गत रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा के स्थान पर सेटलमेंट विभाग द्वारा ख0 नं0 14 रकबा 0.28 है0, ख0 नं0 15 रकबा 0.36 है0, ख0 नं0 16 रकबा 0.05 है0 कायम किये जाकर कुल रकबा 1.24 है0 दर्ज कर 0.16 है0 अधिक रकबा दर्ज कर दिये जाने से ख0 नं0 14, 15 व 16 मे से 0.16 है0 भूमि खाते से कम की जाकर राजकीय सिवायचक दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्त किये जाने बावत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 8.5.2018 से तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया कि ग्राम बालिता के राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्त कर ख0 नं0 14 की 0.28 है0, ख0 नं0 15 की 0.36 है0, ख0 नं0 16 की 0.05 है0 मे से 0.16 है0, भूमि कम कर राजकीय सिवायचक दर्ज कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद की जावे। अधीनस्थ न्यायालय के

उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर वर्णित किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानूनी प्रावधानो के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गोर नही किया कि सेटलमेंट विभाग द्वारा सहवन से अपीलांट को पुराना खाता नम्बर 7 का रकबा 0.1 बिस्वा था मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नया नम्बर 13 पडा तथा उसमे रकबा 0.25 है0 कर दिया जबकि अपीलांट के खाते मे 0.1 बिस्वा ही दर्ज हो रही है जो अधिक आराजी दर्ज की वह खसरा नम्बर 13 मे की गयी है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पुराना ख0 नं0 1/1 के पुराने नम्बर का ख0 नं0 14, 15, 16, 17 दर्ज किया है जिसका रकबा 1.24 है0 होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानो की अनदेखी की है क्योकि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई साक्ष्य रेस्पो0 द्वारा पेश किये ही प्रकरण को साबित होना मान लिया जो अवैधानिक है। यदि साक्ष्य पेश नही हुई तो साक्ष्य के अभाव मे ही प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना चाहिये था। संबधित प्रकरण की पत्रावली दिनांक 8.5.2018 को केम्प किशनपुरा तकिया मे रखी गई जिसकी कोई सूचना अपीलांट को नही दी गई जबकि प्रकरण मे कोई राजीनामा नही हुआ नही कोई सहमति ली गयी। ऐसी स्थिति मे प्रकरण का राजस्व लोक अदालत मे विधि मे निहित प्रावधानो के विपरीत रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र निर्णित नही किया जा सकता। ख0 नं0 1/1 रकबा 13 बिस्वा अपीलांट को चम्बल परियोजना सरकारी भूमि से दिनांक 4.1.1963 को आवंटन हुआ है जिसके खातेदारी अधिकार दिनांक 14.12.73 को प्राप्त हुये ख0 नं0 1/1 का 8.9 मे पडा जिसके नये ख0 नं0 14/0.28, 15/0.36, 16/0.05, 17/0.30 दर्ज किये जिसका कुल रकबा 0.99 है0 होता है जबकि अपीलांट के परिवर्तित नम्बर मे कुल रकबा 1.06 है0 होना चाहिये जो 0.07 है0 कम पडती है। अतः अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी का निर्णय दिनांक 8.5.18 निरस्त कर ख0 नं0 7 पुराना नया नम्बर 13 मे शामिल आराजी मे से कम करने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रकरण मे बहस हो गयी थी आदेश की स्टेज पर पत्रावली जेरकार थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सूचना दिये बिना ही पत्रावली को दिनांक 8.5.2018 को केम्प कोर्ट किशनपुरा तकिया मे रख कर निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। बहस मे आगे यह भी प्रकट किया कि प्रकरण मे पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा नही हुआ ना ही सहमति ली गई। जबकि कानूनन लोक अदालत मे राजीनामा व आपसी सहमति के आधार पर ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है। बढा हुआ रकबा ख0 नं0 13 मे है ऐसी स्थिति मे रकबा ख0 नं0 13 मे कम किया जाना था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ख0 नं0 14, 15, 16 मे 0.16 है0 भूमि कम कर त्रुटि की है। ख0 नं0 13 मे से रकबा कम किये जाने मे अपीलांट को कोई आपत्ति नही है। अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किये जाने का अनुरोध किया।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट करते हुये अपील अपीलांट खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 पर मनन किया। अपीलांट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा पारित जेरअपील निर्णय/आदेश दिनांक 8.5.2018 के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा मे अपील दिनांक 24.8.2018 को पेश की है जो मियाद बाहर है। डिले कन्डोन हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे वर्णित किया गया कि जेरअपील निर्णय अपीलांट को सूचना दिये बिना केम्प कोर्ट मे रख कर पारित किया गया है जिसकी

जानकारी 31.7.2018 को न्यायालय मे उपस्थित होने पर होने पर नकल प्राप्त कर अपील पेश की गई। अतः विलम्ब अवधि सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जावे। रेस्पो0 द्वारा अपीलांट के कथन का खण्डन नही किया ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर पेश किया गया ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो को अविश्वसनीय माने जाने का कोई आधार अभिलेख पत्रावली मे उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। तहीलदार लाडपुरा द्वारा विवादित आराजी ग्राम बालिता का गत रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा के स्थान पर सेटलमेंट विभाग द्वारा बढाकर 1.24 है0 कर दिये जाने से प्रार्थना पत्र अनुसार ख0 नं0 14, 15 व 16 मे से 0.16 है0 भूमि खाते से कम की जाकर राजकीय सिवायचक दर्ज करने कर इन्द्राज दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर ग्राम बालिता के राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती कर ख0 नं0 ख0 नं0 14/0.28, 15/0.36, 16/0.05, मे से 0.16 है0 भूमि कम कर उक्त 0.16 है0 भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने का दिनांक 8.5.2018 को आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि पत्रावली मे बहस हो चुकी थी तथा प्रकरण आदेश की स्टेज पर जेरकार था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सूचना दिये बिना ही प्रकरण दिनांक 8.5.2018 को केम्प कोर्ट किशनपुरा तकिया मे रख कर निर्णय पारित कर कानूनी प्रावधानो की अवहेलना की है। तर्क के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से उक्त कथन की पुष्टि होती है। प्रकरण मे अपीलांट का यह भी तर्क रहा है कि प्रकरण मे पक्षकारो के मध्य कोई राजीनामा नही हुआ ना ही आपसी सहमति ली गई। जबकि कानूनन लोक अदालत मे राजीनामा व आपसी सहमति के आधार पर ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है। बढा हुआ रकबा ख0 नं0 13 मे है ऐसी स्थिति मे रकबा ख0 नं0 13 मे कम किया जाना था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने गोर किये बिना ख0 नं0 14, 15, 16 मे 0.16 है0 भूमि कम कर त्रुटि की है। ख0 नं0 13 मे से रकबा कम किये जाने मे अपीलांट को कोई आपत्ति नही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि पत्रावली मे राजीनामा अथवा आपसी सहमति ली जाने संबधी कोई आधार अभिलेख/दस्तावेज उपलब्ध नही है जबकि कानूनन लोक अदालत मे राजीनामा व आपसी सहमति के आधार पर ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर जेरअपील आदेश पारित किया जाना प्रकट होने से जेरअपील आदेश दिनांक 8.5.2018 को न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। अतः उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश दिनांक 8.5.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उभय पक्षकारान को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर प्रदान कर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अनुसार नये–पुराने खसरा नम्बर, रकबा का मिलान कर रकबा बरारी करते हुये पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करने हेतु रिमांड किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 30.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा